पत्रांक................../

प्रेषक : अधीक्षक
जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना।

मधेपुरा दिनांक 02 / 09 / 2020

विषय : विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा के आकस्मिकी विभाग एवं वार्डों में मेडिकल गैस की आपूर्ति से संबंधित निविदा की शर्तें एवं सॉफ्ट कॉपी इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है की 3(तीन) दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

ह०

डॉ० राकेश कुमार
अधीक्षक
जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा।

ज्ञापांक 2176 / मधेपुरा, दिनांक 02 / 09 / 2020

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि संस्थान के वेबसाईट पर निविदा प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

02/09/2020

अधीक्षक
जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा।

02/9/20

कार्यालयः– अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा।

अल्पकालिन निविदा

ज्ञापांक 2172 / मधेपुरा, दिनांक 02 / 09 / 2020

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा में वित्तीय वर्ष 2020–21 में मेडिकल गैस की आपूर्त्ति हेतु मेडिकल गैस आपूर्तिकर्त्ता/प्राधिकृत विक्रेता से मुहरबंद निविदा दिनांक–21.09.2020 तक निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अधीक्षक कार्यालय, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से प्राप्त किया जा सकता है, तथा निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी संस्थान के वेबसाईट www.jnktmchmadhepura.org पर देखी जा सकती है।

अल्पकालिन निविदा में संलग्न होने वाले आवश्यक अभिलेखों की सूचीः–

1. Letter Head पर नाम, पता, दूरभाष संख्या के साथ।
2. निविदादाता/निर्माता/फर्म/एजेंसी का अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र की स्पष्ट छयाप्रति।
3. आयकर के पैनकार्ड एवं तीन वर्षों का आयकर रिर्टन की छयाप्रति।
4. जमानत की राशि 5,00,000 (पाँच लाख) रूपये मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ जो अधीक्षक मधेपुरा, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा के पदनाम से देय होगा। लघु उद्योग ईकाई से निबंधित कंपनी/ऐजेंसी को जमानत की राशि में नियमानुकूल छूट देय होगा।
5. काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निर्माता/निर्माता कम्पनी द्वारा प्राधिकृत फर्म/एजेंसी को निविदा प्राप्ति के अन्तिम तिथि तक तीन वर्ष पूर्व का निबंधन/अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता को राष्ट्रीय परीक्षणशाला से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अतएव निविदादाता/निर्माता को अपने निर्माता कम्पनी को राष्ट्रीय परीक्षणशाला से प्राप्त मान्यता का प्रमाण–पत्र/ सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. तकनीकी निविदा के साथ दिये गये कागजातों से संबंधित क्रमवार Printed Check List लगाना होगा, साथ ही निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा इस निविदा में जितनी भी सूचना/अभिलेख/कागजात दी जा रही है वो पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है। इसे गलत पाये जाने पर इसके लिए मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना जाऊँगा और मेरे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाई के लिए अधीक्षक स्वतंत्र होंगे।
9. निविदादाता को निविदा के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अद्यतन अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र, भौतिक अस्तित्व, ननकनविक्शन प्रमाण–पत्र एवं गैस निर्माता द्वारा निर्गत आपूर्तिकर्त्ता होने का प्राधिकार पत्र संलग्न करना होगा।

निविदा की शर्तें

1. निविदा दो प्रकार की होगी (i) तकनीकि निविदा एवं (ii) वित्तीय निविदा
2. निविदा टंकित एवं अलग–अलग लिफाफे में मुहरबंद कर पुनः एक बड़े लिफाफे में दोनों निविदा को डालकर मुहरबंद करते हुए लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से मेडिकल गैस की आपूर्त्ति हेतु तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करना होगा।
3. निविदा में निर्माता कंपनी या निर्माता कंपनी द्वारा प्राधिकृत फर्म/एजेंसी ही भाग ले सकते हैं।
4. निविदादाता को अपना नाम एवं पूरा पता अपने लेटर पैड पर अंकित करना होगा।
5. निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि–21.09.2020(संध्या–04:00) के अगले कार्यालय कार्य दिवस को क्रय समिति के समक्ष तकनीकि निविदा दिनांक–23.09.2020 को खोला जायेगा। यदि उस दिन अवकाश होने पर उसके अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी।
6. क्रय समिति द्वारा तकनीकि निविदा योग्य पाये जाने पर ही तद्नुसार वित्तिय निविदा खोलने हेतु अलग से तिथि निर्धारित कर सूचित किया जाएगा।
7. अगर अनुमोदित न्यूनतम दर (एल–1) वाले निविदादाता आदेश के बाद निर्धारित समय तक गैस की आपूर्त्ति नहीं करते है तो द्वितीय दर (एल–2) वाले निविदादाता को एल–1 के दर पर आपूर्त्ति करने का आदेश दिया जायेगा एवं एल–1 वाले निविदादाता का आदेश रद्द करते हुए उनके जमातन राशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं उन्हें काली सूची में डालने की कार्यवाई की जायेगी।
8. निम्नलिखित एवं समयावधि के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं होगा।
9. आपूर्त्ति में शिकायत या आपूर्त्ति में बाधा पहुंचाने संबंधी शिकायत का स्थिति में उनके निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
10. निविदा शर्तें एवं कार्यों के प्रकार में फेर बदल करने का अधिकार अधीक्षक/क्रय समिति को सुरक्षित है।
11. क्रय समिति को बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
12. विवाद की स्थिति में विवाद का न्यायायिक क्षेत्र जिला स्तर पर मधेपुरा एवं राज्य स्तर पर पटना होगा।
13. निविदा स्वीकृत होने के प चात् निविदादाता को संस्थान के साथ देय शर्तों के तहत एकरारनामा करना होगा। साथ ही अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा के पदनाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का 10,00,000 (दस लाख) रूपये का बैंक गांरटी भी जमा करना होगा।

02/09/2020

अधीक्षक
जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा

02/9/20